कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 26.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–44 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। गुरूवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त मो0 आरिफ पुत्र मो0 झिनकन नि0 रानीजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया में पंजीकृत मु0अ0सं0–450/20, धारा 363 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना छपिया में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

01 किलो0 970 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. गोपीचन्द्र गुप्ता पुत्र रामकेवल नि0 वार्ड नं0–11 चन्द्रशेखर आजाद नगर थाना गौर जनपद बस्ती।

02. टाइपिंग उर्फ अमित शुक्ला पुत्र स्व0 राधेश्याम नि0 ढढौवा मेहनिया थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–482/20, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0–483/20, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो0 970 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.11.2020 को थाना छपिया के उ0नि0 कन्हैया दीक्षित मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को साई मंदिर बभनान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त गोपीचन्द्र गुप्ता के पास से 01 किलो0 70 ग्राम व टाईपिंग उर्फ अमित शुक्ला के पास से 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तों को थाना छपिया में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 कन्हैया दीक्षित।

02. का0 दीपक गुप्ता।

03. का0 अभिषेक राय।

04. का0 दिनेश मद्धेशिया।